पुस्तक मेलों में भाग लेने हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें–

1. मेले में केवल प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता, पुस्तक वितरक तथा शिक्षण सामग्री/सीडी रोम के डीलर/निर्माता भागीदारी कर सकते हैं।

2. आयोजक के पास बिना कोई कारण बताए स्टैंडों/स्टॉलों की लंबाई चौड़ई में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है। आयोजक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा, जो भागीदारों को मानना अनिवार्य होगा।

3. **स्टॉलों/स्टैंडों की बुकिंगः**
स्टॉलों/स्टैंडों की बुकिंग की सुनिश्चितता, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया के नाम तथा नई दिल्ली में देय किराए की पूरी राशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ पूरी तरह भरे हुए निर्धारित आवेदन पत्र के अंतिम तिथि या उससे पहले तक पहुँचने पर होगी।

4. स्टॉलों की बुकिंग के संबंध में आयोजक ऑक्टोनार्म प्रणाली सहित पुस्तकों के प्रदर्शन की व्यवस्था वाला विधिवत रूप से निर्मित स्टॉल उपलब्ध करवाएगा। एक बार स्टॉल की बुकिंग हो जाने पर किसी भी भागीदार को अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

5. भारतीय भाषा के प्रकाशकों/भागीदारों को एक स्टैंड/स्टॉल के किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी परंतु भाषा अनुदान का लाभ उठाने के लिए उन्हें आवेदन–पत्र के साथ पैन कार्ड (अनिवार्य) की एक प्रतिलिपि देनी होगी। यदि किसी प्रकाशक/भागीदार ने भारतीय भाषा में एक से अधिक स्टैंड/स्टॉल बुक कराएं हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही स्टैंड/स्टॉल पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी और अन्य स्टैंड/स्टॉलों का पूरा भुगतान करना होगा।

6. स्टॉलों का आवंटन मेला प्रारम्भ होने से एक दिन पहले लॉटरी द्वारा मेला स्थल पर किया जाता है।

7. स्थान की उपलब्धता होने पर, आयोजक द्वारा स्वीकृत आवेदन–पत्र को आयोजक तथा भागीदारों के बीच हुआ अनुबंध (स्वीकृत शर्तों के अंतर्गत) माना जाएगा।

8. अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त किए गए आवेदनों पर स्थान की उपलब्धता की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के अनुसार 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर विचार किया जाएगा।

9. पॉलिथिन का प्रयोग निषिद्ध है, अतः सभी भागीदार इसका सख्ती से पालन करेंगे।

10. यदि किसी आवेदक को अपना स्टॉल किसी अन्य भागीदार के स्टॉल के साथ (निकट) लगवाना है तो वे सूचित करेंगे। इस स्थिति में अन्य भागीदारों की लिखित में सहमति आवश्यक होगी जो आवेदन–पत्र के साथ जमा करवानी होगी तथा जहाँ तक संभव हो पाएगा, निवेदनानुसार समीपस्थ स्टॉल देने का प्रयास किया जाएगा।

11. **इलैक्टिकल फिटिंग/बिजली की फिटिंगः** 3मी. X 3मी. आकार के स्टॉल पर अधिकतम 6 स्पॉट लाइटें अथवा 6 सीएफएल अथवा 3 ट्यूब लाइटें तथा कंप्यूटर चलाने के लिए एक बिजली के प्वाइंट की व्यवस्था की जाएगी। अतिरिक्त बिजली/बिजली की फिटिंग तथा उपकरणों के प्रयोग के लिए आयोजक द्वारा निर्धारित की गई दर से भागीदार को उपभोग शुल्क का भुगतान करना होगा।

12. **स्टॉलों का कब्जा एवं उन्हें खाली करनाः**
भागीदारों को स्टैंडों/स्टॉलों का कब्ज़ा प्रदर्शनी प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व सायं 4 बजे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भागीदार समाप्ति की अवधि अर्थात मेले के अंतिम दिन से पहले प्रदर्शन स्थान पूर्ण रूप से खाली न करने के लिए बाध्य होंगे। भागीदारों को मेले के अंतिम दिन की शाम या अगले दिन सुबह तक स्टॉल खाली करना होगा।

13. यह भागीदारों की जिम्मेदारी होगी कि वे मेले के समापन पर स्टॉल से सभी प्रदर्शन सामग्री, उपकरण तथा अन्य सामग्री को हटा लें तथा स्टॉल को उसी स्थिति में खाली कर दें, जिस स्थिति में वे उन्हें आवंटित किए गए थे। यदि भागीदारों को उपलब्ध कराए गए पैनल, रैक, मेज अथवा कोई भी अन्य वस्तु टूटी हुई/भविष्य में उपयोग के लायक न हुई/गायब हुई तो, ऐसी वस्तुओं की कीमत उस भागीदार को अदा करनी होगी।

14. **सीमा का अतिक्रमणः**
भागीदारों को अपने सीमा–क्षेत्र में विस्तार अथवा अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं होगी अतः भागीदारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सामग्री के प्रदर्शन की व्यवस्था आवंटित स्थान के अंतर्गत ही करें।

15. **साफ–सफाईः**
सामान्यतया आयोजक द्वारा मेले में साधारण साफ–सफाई का ध्यान रखा जाएगा परंतु भागीदार मेले के दौरान स्टॉल की हर समय साफ–सफाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

16. **बैनर, पोस्टर आदि का प्रदर्शनः**
स्टॉलों पर अथवा स्टॉलों के अंदर संबंधित/संगत पोस्टर, बैनर आदि लगाने पर कोई रोक नहीं होगी परन्तु स्टॉल के बाहर कुछ भी प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी।

17. **पुस्तकों की बिक्री एवं प्रदर्शनः**
निम्नलिखित स्थितियों में पुस्तकों एवं अन्य पठन–सामग्री की बिक्री की अनुमति दी जाएगी–
(क) मुद्रित मूल्य पर समान रूप से 10 प्रतिशत छूट देने की अनुमति होगी।
(ख) आवाज़ लगाकर अथवा विशेष रूप से मूल्य कम करके पुस्तकें बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा।
(ग) मेले में स्टेशनरी, खिलौने, ग्रीटिंग कार्ड, पोस्टर तथा ऐसी किसी भी सामग्री, जिसे पुस्तकों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, को बेचने पर प्रतिबंध होगा, तथा
(घ) कानून द्वारा निषिद्य या वर्जित कोई भी पुस्तक या सामग्री, जिसमें कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन भी शामिल है, को प्रदर्शित अथवा बेचा नहीं जाएगा। इस संबंध में किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए भागीदार ही एकमात्र जिम्मेदार होगा तथा आयोजक ऐसे किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे किसी भी उल्लंघन के लिए आयोजक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाहीं और व्यय के हर्जाने का उत्तरदायी भागीदार होगा।

18. **जगह का अनाधिकृत अतिक्रमणः** रास्तों का अनाधिकृत अतिक्रमण अथवा स्टॉल/स्टैंड का विस्तार स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए भागीदारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री को आवंटित स्टॉल में सीमित रखें।

19. **ऑडियो/वीडियो कैसेट चलानाः**
ऑडियो अथवा वीडियो कैसेट चलाने वाले भागीदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी ध्वनि से किसी पड़ोसी भागीदार अथवा आगंतुकों को कोई परेशानी नहीं होगी। इस विषय में आयोजक का निर्णय अंतिम होगा कि इससे भागीदारों/आगंतुकों को कोई परेशानी हो रही है या नहीं और आयोजक भागीदार को ऐसे ऑडियो/वीडियो कैसेट चलाने से रोक सकता है।

20. **बीमाः**
लूट, चोरी, दंगे, हड़ताल, आग, बाढ़ के कारण तथा मेले में आते या जाते समय होने वाली फर्नीचर/प्रदर्शित सामान की क्षति की एकमात्र जिम्मेदारी व्यक्तिगत भागीदार की ही होगी। सामूहिक बीमा की व्यवस्था नहीं है। बीमा के प्रमाण देने के पश्चात स्टैंड/स्टॉल का कब्जा दिया जाएगा। मेले की अवधि में प्रदर्शित सामग्री, अपने व किराए पर लिए स्टैंड, उपकरण तथा भंडार की टूट–फूट, चोरी तथा आग या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षति की विशिष्ट तथा संपूर्ण जिम्मेदारी भागीदारों की ही होगी। प्राकृतिक आपदाओं सहित अन्य कारणों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आयोजक उत्तरदायी नहीं होगा। स्टॉल/स्टैंड का कब्ज़ा देने से पूर्व इस तरह की बीमा पॉलिसियों के निरीक्षण के लिए आयोजक अधिकृत तो होगा, बाध्य नहीं होगा। आयोजक के विरुद्ध कोई भी दावा करते समय, भागीदार को हर्जाना–खर्चा देना होगा।

21. **सुरक्षा:**
वैसे तो मेले के दौरान आयोजक द्वारा सभी हॉलों में चौबीसों घंटे सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी परंतु भागीदारों के किसी भी सामान व संपत्ति के खोने अथवा खराब होने की जिम्मेदारी आयोजक की नहीं होगी। भागीदारों को सलाह दी जाती है कि वे मेले के दौरान अपने स्टॉलों को अरक्षित न छोड़ें।

आयोजक की लिखित अनुमति के बिना मेले के दौरान कोई भी सामान अथवा प्रदर्शन सामग्री वहाँ से हटाई नहीं जाएगी।

22. **प्रवेश:**
मेले के दौरान भागीदारों को प्रत्येक दिन आगंतुकों के आने के समय से आधा घण्टा पूर्व हॉल में जाने की अनुमति होगी तथा शाम को भी आगंतुक समय के आधे घंटे पश्चात तक हॉल खाली करना होगा। आगंतुक समय प्रायः पुस्तक मेले के स्थान के अनुसार ही होगा जो भागीदारी प्रपत्र में उल्लिखित होगा।

23. **निरसन:** किसी भी प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य विशेष परिस्थितियों में पुस्तक मेले को स्थगित, परिवर्तित अथवा रद्द करने का अधिकार आयोजक का होगा। यदि मेला उद्घाटन से पहले ही रद्द करना पड़ा तो जितना जल्दी संभव होगा आवश्यक कटौती करके किराए की राशि लौटा दी जाएगी, जो भी आयोजक द्वारा निर्णीत होगा। तथापि परिवहन द्वारा पुस्तकों के ले जाने वाले डिस्पैच पर खर्च की गई राशि की वापसी के लिए की गई मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।

24. स्टॉल का एक बार आरक्षण कराने के पश्चात भागीदार उसे निरस्त अथवा उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। किसी भी परिस्थिति में किराए की राशि को न तो वापस किया जाएगा, न ही किसी आगामी पुस्तक मेले में समायोजित किया जाएगा।

25. **वैधानिक क्षेत्र:**
मेले में भागीदारों के संबंध में उठे किसी भी प्रकार के दावे अथवा विवाद को सुलझाने हेतु वैधानिक क्षेत्र केवल दिल्ली न्यायालय ही होगा।

एनबीटी, इंडिया के सक्षम अधिकारी द्वारा उपरोक्त उल्लिखित नियम एवं शर्तों में से किसी भी नियम एवं शर्त को परिवर्तित किया जा सकता है तथा उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

संपर्क करें
उप निदेशक (प्रदर्शनी)
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, वसंत कुंज
फेज–II, नई दिल्ली–110070
दूरभाष : 011–26707700, ईमेल: nbtindia@nbtindia.gov.in/ dd-exh@nbtindia.org.in वेबसाइट: www.nbtindia.gov.in